"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी 2017— माघ 8, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-27/खाद्य/2008/29-1. — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 सहपठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 क्रमांक सा.का.नि. 2013 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2015 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) के अनुसरण में तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 को अधिक्रमित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु जैसे खाद्य, अनाज, इत्यादि की आपूर्ति, वितरण एवं सुरक्षित उपलब्धता के अनुरक्षण हेतु निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

आदेश

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.-** (1) यह आदेश छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.-** (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10);

(ख) **"अपीलीय प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है आदेश के खण्ड 18 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) "**प्राधिकृत अभिकरण**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा उसमें इसके अधिकारी, कर्मचारी, परिवहनकर्ता तथा उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अधीन भारतीय खाद्य निगम, विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न योजना के अंतर्गत उपार्जित स्टॉक अथवा निविदा के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, नमक, चना एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का क्रय करने तथा राज्य सरकार के वितरण केन्द्र तक एवं तत्पश्चात् उचित मूल्य की दुकान तक परिवहन करने में लगे हुये हैं तथा नीले केरोसिन की दशा में इससे अभिप्रेत है, तेल कंपनियाँ, थोक व्यापारी तथा उनके प्राधिकृत परिवहनकर्ता और जिसमें उनके कर्मचारी अथवा व्यक्ति, जो ऑयल कंपनी के डिपो से उचित मूल्य की दुकान तक केरोसिन के परिवहन कार्य में लगे हुए हैं;

(घ) "**केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम**" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20);

(ड.) "**केन्द्रीय सरकार**" से अभिप्रेत है भारत सरकार;

(च) "**केन्द्रीय आदेश**" से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015;

(छ) "**कलेक्टर**" से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर एवं इसमें सम्मिलित है, ऐसे कोई अन्य अधिकारी, जो राज्य शासन द्वारा इस आदेश के अन्तर्गत कलेक्टर के समस्त या किसी कार्य को संपादित करने के लिए प्राधिकृत किये गये हों;

(ज) "**संचालक**" से अभिप्रेत है संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छत्तीसगढ़ शासन;

(झ) "**व्यपवर्तन**" से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राधिकृत अभिकरण के गोदाम से आवश्यक वस्तुओं का विहित

हितग्राहियों से भिन्न व्यक्तियों अथवा स्थानों को अनाधिकृत वितरण अथवा परिवहन;

(ञ) "**उचित मूल्य की दुकान**" से अभिप्रेत है ऐसी दुकान, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डधारियों तथा क्रमशः केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अभिकरणों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिये इस आदेश के अधीन प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो;

(ट) '**परिवार**" से अभिप्रेत है पति, पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे;

(ठ) "**खाद्य सुरक्षा भत्ता**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि;

(ड) "**सार्वजनिक वितरण प्रणाली**" से अभिप्रेत है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हांकित राशनकार्डधारियों एवं अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत उठाव हेतु अन्य विनिर्दिष्ट संस्थाओं को आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि चावल, गेहूं, शक्कर, नीला मिट्टी तेल, नमक, चना तथा ऐसी अन्य वस्तुएं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,. 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित है, के वितरण की प्रणाली;

(ढ) "**राशनकार्ड**" से अभिप्रेत है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा एक आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया एक दस्तावेज, जिसमें सम्मिलित हैं,–

(एक) केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र प्राथमिकता वाले परिवार को जारी राशनकार्ड;

(दो) अंत्योदय परिवार (राज्य सरकार द्वारा चिन्हित विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह के परिवार) को जारी राशनकार्ड;

(तीन) अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत निराश्रित व्यक्तियों को जारी राशनकार्ड;

(चार) ऐसे अन्य राशनकार्ड, जो केन्द्र या राज्य शासन की किसी योजना के विशेष लाभ हेतु जारी किये जाये;

(ण) **"राशन सामग्री"** से अभिप्रेत है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक, चना एवं नीला केरोसिन तेल एवं केन्द्र या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समय–समय पर सम्मिलित की गई कोई अन्य वस्तुएं;

(त) **"राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013);

(थ) **"राज्य शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20), छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

3. **पात्र परिवारों की पहचान.**– राशन कार्ड हेतु पात्र परिवारों की पहचान, राज्य सरकार द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

4. **राशन कार्ड.**– (1) छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किये जायेंगे।

(2) राज्य शासन द्वारा फर्जी राशन कार्ड को विलोपित किये जाने की नियमित कार्यवाही की जायेगी।

(3) राशन कार्ड, जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति,–

(क) राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा, यदि उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से राशन कार्ड पहले से ही जारी है;

(ख) राशन कार्ड के लिए आवेदन देते समय गलत विवरण या जानकारी नहीं देगा;

(ग) राशन कार्ड की प्रविष्टियों में से किसी प्रविष्टि को जानबूझकर परिवर्तित, नष्ट या विकृत किये जाने का कार्य नही करेगा अथवा इसके लिए अनुज्ञा नहीं देगा ।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) में विहित समय–सीमा संबंधी उपबंधों के अनुपालन हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) सामान्यतः राशन कार्ड इसके जारी किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। 05 वर्ष के अवसान पर, राशन कार्ड, छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार नवीनीकृत किया जायेगा अथवा नवीन राशन कार्ड जारी किया जायेगा।

(7) राशन कार्ड में, कार्डधारक तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, आयु और पता स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा।

(8) राशन कार्ड, परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम से जारी किया जायेगा। वयस्क महिला न होने की स्थिति में, परिवार के सबसे वरिष्ठ पुरूष सदस्य को मुखिया माना जायेगा तथा उसके नाम से राशन कार्ड जारी किया जायेगा:

परन्तु यह कि जब महिला सदस्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण करे, तब राशन कार्ड में परिवार के मुखिया के रूप में महिला सदस्य का नाम प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(9) जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा नवीन राशन कार्ड जारी किये जाने हेतु कोई शुल्क, प्रभारित अथवा वसूल नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह कि राज्य शासन के विभिन्न सेवा केन्द्रों जैसे–च्वाईस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र आदि में सेवा प्रदाय हेतु निर्धारित शुल्क देय होगा।

(10) राशन कार्ड मात्र ऐसे व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति की ओर से, जिसको यह जारी किया गया है, उपयोग किया जा सकेगा तथा यह अन्य किसी वैधानिक प्रयोजन के लिए या किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

(11) जारी राशन कार्ड, किसी व्यक्ति को अन्तरणीय नहीं होगा।

(12) इस आदेश के अधीन जारी प्रत्येक राशन कार्ड, शासन की सम्पत्ति मानी जायेगी, किन्तु व्यक्ति, जिसको राशन कार्ड जारी किया गया, रखा गया या समर्पित किया गया हो, वह इसकी अभिरक्षा के लिये जिम्मेदार होगा।

(13) राशन कार्ड के विकृत हो जाने, गुम हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में, प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जाँच के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, 10/– रूपये प्रति कार्ड के भुगतान पर राशन कार्ड की छायाप्रति जारी करेगा:

परन्तु यह कि राज्य शासन के विभिन्न सेवा केन्द्रों, जैसे च्वाईस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र आदि में सेवा प्रदाय के लिये विहित शुल्क देय होगा।

(14) ऐसी दशा में, जब गुम हुए राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड जारी कर दिया गया हो एवं बाद में पुराना राशन कार्ड मिल जाये, तब कार्डधारी तत्काल उस अधिकारी को, जिसके द्वारा यह जारी किया गया है, गुम हुए राशन कार्ड को वापस करेगा।

(15) जब कोई राशन कार्ड किसी व्यक्ति के आधिपत्य में है, और ऐसा आधिपत्य, इस आदेश के द्वारा या इसके अन्तर्गत प्राधिकृत नहीं है, तब वह तत्काल ऐसे राशन कार्ड को संबंधित तहसीलदार या स्थानीय निकायों को सौंप देगा।

(16) आवश्यक वस्तुओं के व्यपवर्तन की जांच के क्रम में, कलेक्टर फर्जी राशन कार्ड एवं फर्जी राशन कार्ड इकाईयों को समाप्त करने के लिये नियमित प्रकिया चलायेगा।

5. **उठाव, भण्डारण, परिवहन तथा वितरण**.– (1) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राप्त होने वाले किसी आबंटन को किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित नहीं किया जायेगा।

(2) संचालक, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, केन्द्र शासन से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन आबंटन प्राप्त होने अथवा प्राप्त होने की प्रत्याशा में, आगामी माह के लिये चालू माह की 10 तारीख को राज्य में संचालित सभी उचित मूल्य की दुकानों पर वेबबेस्ड ऑनलाईन आबंटन जारी करेगा। अन्य शासकीय योजनाओं के लिये संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन आबंटन जारी किया जायेगा।

(3) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), निर्धारित राशि के साथ मांग की प्राप्ति पर, दो सप्ताह की कालावधि के भीतर विहित मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार गेहूँ उपलब्ध करायेगा। शेष राशन सामग्रियाँ, उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति के लिये विहित मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार प्राधिकृत अभिकरण द्वारा

विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अधीन उपार्जित स्टॉक अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त की जायेंगी।

(4) उचित मूल्य की दुकानों के लिये राशन सामग्रियों के प्रतिमाह ऑनलाईन आबंटन जारी होने पर, खाद्य निरीक्षक संबंधित उचित मूल्य की दुकान, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकाय को आबंटन के विषय में जानकारी देगा। संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों से संलग्न राशन कार्डधारियों एवं उनकी पात्रताओं की सूची का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पूर्ववर्ती माह का अतिशेष स्टॉक, उचित मूल्य की दुकानों के लिये राशन सामग्रियों की आपूर्ति के क्रम में घोषणा पत्र में अभिलिखित किया जायेगा।

(6) कलेक्टर, प्राधिकृत अभिकरण के जिला प्रबंधक, खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी एवं प्राधिकृत एजेंसी के परिवहनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि एक माह में वितरण के लिये संपूर्ण सामग्रियाँ, आवंटित माह के प्रथम दिवस को उचित मूल्य की दुकानों पर संग्रहित की जायेंगी ।

(7) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाव करने की स्थिति में, राशि भुगतान के पूर्व प्राधिकृत अभिकरण एवं भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधिगण, जारी किये जाने के लिये प्रस्तावित स्टॉक का संयुक्त निरीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी होने वाला स्टॉक विहित गुणवत्ता के अनुसार है। इसी प्रकार, प्राधिकृत अभिकरण केन्द्र, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि एवं कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किये जाने वाले खाद्यान्नों का उनके प्रदाय केन्द्रों में संयुक्त निरीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वितरण किया जाने वाला खाद्यान्न विहित गुणवत्ता का है।

(8) भारतीय खाद्य निगम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति के लिये स्टॉक के बाहर के खाद्यान्नों का छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को स्टॉक–वाईस सील्ड नमूने उपलब्ध करायेगा । तत्पश्चात्,

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड उनके परिवहनकर्ताओं के माध्यम से खाद्यान्नों के स्टॉक से उचित मूल्य की दुकानों में प्रदर्शित किये जाने के लिये प्रत्येक माह खाद्यान्न के सील किये गये नमूने की आपूर्ति करेगा।

(9) प्राधिकृत अभिकरण एवं कलेक्टर उचित व्यवस्था करेंगे कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा उठाव की जाने वाली राशन सामग्रियों की संपूर्ण मात्रा का गोदामों में भंडारण करायें तथा उचित मूल्य की दुकानों में उसका समय पर पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें।

(10) कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अभिकरण के जिला प्रबंधक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्रियों की संपूर्ण मात्रा के परिवहन के लिये प्राधिकृत संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्राधिकृत अभिकरण के प्रदाय केन्द्रों से आपूर्ति के पश्चात् राशन सामग्रियों की अतिशेष मात्रा परिवहन, भण्डारण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर कम गुणवत्ता की वस्तुओं से बदली न जायें।

(11) संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, निरीक्षण के लिए प्रक्रिया तथा विक्रय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं राशनकार्ड रजिस्टर के प्रारूप का निर्णय करेगा ।

(12) राशन कार्ड धारक, उचित मूल्य की दुकानों से अपनी पात्रता के अनुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकेगा। राशन कार्ड धारक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपने हक की सामग्री का एक ही बार में उठाव करे, किन्तु वह अपनी सुविधानुसार किश्तों में ले सकेगा।

(13) राशन कार्डधारी, उचित मूल्य की दुकान से अपनी पात्रता के अनुसार राशन सामग्री उसी माह में प्राप्त कर सकेंगे, जिस माह के लिये आबंटित किया गया है।

(14) राशन कार्ड की विभिन्न श्रेणियों के अधीन वितरित की जाने वाली राशन सामग्रियों के मानदण्ड और उपभोक्ता दर, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेंगी।

(15) संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आगामी माह के लिये माह की 10 तारीख तक उचित मूल्य की दुकानवार एवं जिलेवार राशन सामग्री का आबंटन जारी करेगा तथा प्राधिकृत अभिकरण को राशन सामग्रियों के उठाव एवं भण्डारण हेतु सूचित करेगा।

(16) सभी प्राधिकृत अभिकरण अथवा इसके अनुबंधित परिवहनकर्ता, आबंटन माह के प्रथम दिवस में डोर स्टेप–डिलीवरी सिस्टम द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का डोर स्टेप–वार राशन सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी ।

(17) विगत माह के दौरान वितरित राशन सामग्रियों, अतिशेष स्टॉक के घोषणा प्रपत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट/राशि प्राप्त होने पर, संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक द्वारा वेबसाईट में इसकी डाटाएण्ट्री के बाद प्राधिकृत अभिकरण के प्रदाय केन्द्रों में घोषणा प्रपत्र जमा किया जायेगा।

(18) घोषणा प्रपत्र एवं राशि प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अभिकरण, आगामी माह हेतु अपेक्षित राशन सामग्रियों के भंडारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(19) छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, उचित मूल्य की दुकानों को राशन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु वेबबेस्ड आवेदन के माध्यम से ऑनलाईन डिलीवरी आर्डर एवं ट्रक चालान जारी करेगा।

(20) छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, उचित मूल्य की दुकानों को एक माह के लिये अपेक्षित राशन सामग्रियों की आपूर्ति, संचालक द्वारा जारी आबंटन के अनुसार क्रेडिट आधार पर करेगा।

(21) प्राधिकृत अभिकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिये अपेक्षित राशन सामग्रियों को अपने प्रदाय केन्द्रों से लेगा तथा उसे सीधे उचित मूल्य की दुकानों में संग्रहित करेगा।

(22) परिवहनकर्ता, खाद्यान्न की आपूर्ति, उसे तौलने के पश्चात् उचित मूल्य की दुकान स्तर पर करेगा। परिवहन के दौरान खाद्यान्नों की मात्रा में कमी आने की दशा में, प्राधिकृत अभिकरण, मात्रा की कमी की तत्काल आपूर्ति, उचित मूल्य की दुकान को करेगा।

(23) संचालक द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार उचित मूल्य की दुकान में राशन सामग्रियों के भंडारण के दो दिवस के भीतर परिवहनकर्ता, इसका पंचनामा प्राधिकृत अभिकरण के प्रदाय केन्द्र में जमा करेगा।

(24) उचित मूल्य का दुकानदार, राशन कार्ड धारकों को राशन सामग्री, राज्य शासन या संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अवधारित मात्रा तथा प्रक्रिया के अनुसार वितरण करेगा।

(25) उचित मूल्य का दुकानदार, विहित गुणवत्ता से कम गुणवत्ता की राशन सामग्री का वितरण नहीं करेगा।

(26) उचित मूल्य का दुकानदार, राशन कार्ड में दर्ज परिवार के मुखिया या सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यक वस्तुयें वितरित नहीं करेगाः

परन्तु यदि कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित कोई राशन कार्ड धारक या उसके सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु के या निःशक्त है, तो उनकी पात्रता का खाद्यान्न राशन कार्ड धारक द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को दिया जा सकेगा।

(27) उचित मूल्य का दुकानदार, राशन कार्ड धारक का राशन कार्ड या उसके द्वारा विक्रय की गई राशन सामग्री को उचित मूल्य दुकान परिसर में नहीं रखेगा।

(28) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन सामग्री के आबंटन, भंडारण, परिवहन एवं वितरण के कम्प्यूटरीकरण हेतु संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आदेश/निर्देश जारी करेगा।

6. **तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.**– (1) राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,–

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसी आवश्यक सामग्री के विक्रय या वितरण के लिये विक्रय, वितरण या भंडारण हेतु प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये विश्वास किये गये किसी स्थान या परिसर, वाहन या जलयान में प्रवेश कर सकेगा, ऐसे किसी परिसर का निरीक्षण कर सकेगा या उसे तोड़कर खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा जहां ऐसे प्राधिकारियों को यह विश्वास करने के कारण है कि इस आदेश के उपबंधों का या किसी भी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है या किया जायेगा।

(ख) किसी आवश्यक सामग्री का क्रय, विक्रय, वितरण या भण्डारण से संबंधित कोई व्यक्ति से कोई कथन देने या कोई जानकारी देने के लिये या उसके कब्जे या नियंत्रण के किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकेगा और इस प्रकार अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करेगा।

(ग) किसी आवश्यक सामग्री का क्रय, विक्रय, वितरण या भण्डारण से संबंधित कोई दस्तावेज, जो कि खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तुत करना अपेक्षित है या ऐसे किसी परिसर में अन्यथा पाया जाता है उसका संक्षिप्त या प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा या प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर सकेगा।

(घ) ऐसे किसी परिसर में पाये गये किसी या सभी आवश्यक सामग्री का वजन कर सकेगा या करा सकेगाः

परन्तु यह कि किसी परिसर में प्रवेश और जांच करते समय, परिसर में कब्जा रखने वाले व्यक्ति के सामाजिक और धार्मिक रीति–रिवाजों एवं प्रथाओं का सम्यक् आदर किया जायेगा।

(ङ) ऐसे लेखा बहियों या आवश्यक सामग्रियों के स्टॉक की तलाशी भी ले सकेगा, अभिग्रहण कर सकेगा या उनको हटा सकेगा, जहां प्राधिकारी के पास यह

विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में उपयोग किया गया है या उपयोग किया जायेगा।

(2) इस आदेश के अधीन आवश्यक सामग्रियों के भण्डारण, वितरण, परिवहन आदि का निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) राज्य स्तर– संचालक /अपर संचालक /संयुक्त संचालक /उप संचालक/सहायक संचालक तथा खाद्य निरीक्षक (संचालनालय) – संपूर्ण राज्य में;

(ख) जिला स्तर– (एक) कलेक्टर/अपर कलेक्टर /सहायक कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर /डिप्टी कलेक्टर/खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी/ सहायक खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक – संपूर्ण जिले में;

(दो) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) – संबंधित अनुविभाग में;

(तीन) तहसीलदार/नायब तहसीलदार – संबंधित क्षेत्र में;

(चार) सहकारिता विभाग के अधिकारी, जो सहकारिता निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो– संबंधित क्षेत्र में;

(पांच) पुलिस विभाग के अधिकारी, जो उपनिरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो – संबंधित क्षेत्र में।

7. **निगरानी, पर्यवेक्षण एवं पारदर्शिता.–** (1) संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान का निर्धारित कालावधि में कम से कम एक बार नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा। संचालक भी आदेश जारी करेगा, जिसमें निरीक्षण अनुसूची, जांच बिन्दु की सूची तथा उक्त निरीक्षण आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी का उल्लेख होगा।

(2) केन्द्रीय आदेश, केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के कियान्वयन एवं निगरानी के लिये राज्य शासन द्वारा

राज्य, जिला, विकासखण्ड एवं उचित मूल्य की दुकान स्तर पर सतर्कता समिति स्थापित की जायेगी।

(3) सतर्कता समिति की बैठकें, प्रत्येक स्तर पर तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

(4) राज्य शासन, केन्द्रीय आदेश के परिशिष्ट–छः में उपबंधित प्रारूप में सतर्कता समिति के कृत्यों की वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र शासन को प्रेषित करेगा।

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामाजिक अंकेक्षण, राज्य शासन द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार आयोजित किया जायेगा।

(6) उचित मूल्य की दुकान को संचालित करने वाली अभिकरण, माह में हुए वास्तविक वितरण तथा अतिशेष स्टॉक से संबंधित जानकारी, एक घोषणा पत्र के माध्यम से, क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को कलेक्टर द्वारा विहित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(7) राज्य शासन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्ड धारक को उनके अधिकारों एवं लाभों से संबंधित जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से दिये जाने हेतु, निर्देश जारी करेगा।

(8) राज्य सरकार, सिटीजन चार्टर/छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) में विभाग की योजनाओं से संबंधित अधिसूचना जारी करना सुनिश्चित करेगी।

(9) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने हेतु जनभागीदारी वेबसाईट संचालित करेगा।

(10) उचित मूल्य दुकानों में प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा नियत तिथि पर "चावल उत्सव" का आयोजन किया जायेगा तथा जन सामान्य की उपस्थिति में राशन सामग्री का वितरण किया जायेगा।

(11) राज्य सरकार, प्राप्त शिकायतों/सुझावों को दर्ज करने एवं त्वरित निराकरण हेतु आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली एवं टोल फ्री हेल्पलाईन भी संचालित करेगी।

(12) छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र परिवार को पात्रतानुसार खाद्यान्न के वितरण के संबंध में प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निराकरण, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

8. **उचित मूल्य की दुकानों की संख्या एवं स्थिति.**– उचित मूल्य की दुकानों की संख्या तथा स्थिति, जिला कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी, तथा वह निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:–

(क) सामान्यतः नगरीय क्षेत्र में 500 राशन कार्ड वाले क्षेत्र के लिये एक उचित मूल्य की दुकान होगी। दुकानें उन क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी, जहाँ हितग्राहियों के लिये खाद्यान्न प्राप्त करना सुविधाजनक हो।

(ख) दुकानों की संख्या तथा स्थिति ऐसे अवधारित की जाये, जिससे हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक नहीं चलना पड़े।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः, ग्राम पंचायत को इकाई के रूप में विचार करते हुए, उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जायेगी।

(घ) सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें, यथासंभव शासकीय भवनों में स्थापित की जायें। शहरी क्षेत्रों में, आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले भवनों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित न की जायें। उचित मूल्य की दुकान का आकार, एक माह के लिए आबंटित स्टॉक हेतु पर्याप्त होना चाहिये।

9. **उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन.**– (1) इस आदेश के उपबंधों के अधीन वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लेम्पस), प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व–सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों एवं स्थानीय नगरीय निकायों को उचित मूल्य की दुकानें आबंटित की जायेंगी।

(2) उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन, जिला मुख्यालय में कलेक्टर के अनुमोदन पर खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी द्वारा एवं जिले के शेष क्षेत्रों में, कलेक्टर के अनुमोदन पर अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) उन स्थलों में, जहाँ एक से अधिक प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ विद्यमान हों, वहाँ उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी समिति की अनुशंसा के अनुसार आबंटन के लिए चयन किया जायेगा।

(4) सामान्यतः किसी भी अभिकरण को उसके क्षेत्र में, केवल एक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जा सकेगी, किन्तु राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित वितरण सुनिश्चित करने हेतु, दुकान आबंटन प्राधिकारी, विधिमान्य कारण दर्शाते हुए एक से अधिक दुकान आबंटित कर सकेगा, किन्तु किसी भी परिस्थिति में, इस प्रकार आबंटित दुकानों की संख्या तीन उचित मूल्य की दुकानों से अधिक नहीं होगी।

(5) उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जायेगा। वे संस्थायें, जो उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु इच्छुक हैं, विहित ''प्रारूप'' में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(6) एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन.– प्राधिकृत अधिकारी, उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन निम्नलिखित अभिकरणों को करेगा, अर्थात्:–

(एक) वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति (लेम्पस);

(दो) ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय;

(तीन) महिला स्व–सहायता समूह;

(चार) वन सुरक्षा समितियाँ;

(पांच) अन्य सहकारी समितियाँ;

(छः) राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम।

(7) अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों का आबंटनः– प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन निम्नलिखित को करेगा, अर्थात्:–

(एक) ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय;

(दो) महिला स्व–सहायता समूह;

(तीन) प्राथमिक कृषि साख समितियाँ;

(चार) अन्य सहकारी समितियाँ;

(पांच) राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम;

(छः) वन सुरक्षा समितियाँ।

(8) अन्य सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र.2 सन् 2000) के अधीन पंजीकृत होंगे। अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों की लेखाओं का अंकेक्षण सहकारिता विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(9) उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन, ऐसे अन्य सहकारी समितियों एवं महिला स्व–सहायता समूहों को किया जायेगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम 3 वर्ष पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हों तथा जिसे सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

(10) ग्राम पंचायतों को आबंटित उचित मूल्य की दुकानों का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत उचित मूल्य की दुकान को

संचालित करने के लिए किसी निजी व्यक्ति को प्राधिकृत नहीं करेगा। ग्राम पंचायतों को आबंटित उचित मूल्य की दुकानों का संचालन, ग्राम सभा द्वारा नामांकित एक समिति, जिसमें सरपंच, पंचायत सचिव, एक पंच, एक पूर्विकता राशन कार्डधारी तथा एक अन्त्योदय राशन कार्डधारी सम्मिलित होंगे, के द्वारा किया जायेगा। इसमें से कम से कम दो महिला सदस्य होने चाहिये। ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समेन के रूप में किसी स्थानीय शिक्षित एवं बेरोजगार व्यक्ति को ग्राम सभा के अनुमोदन पर नियुक्त किया जायेगा।

(11) उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय में उचित मूल्य की दुकान का नाम, सरल क्रमांक, अभिकरण का नाम, जिसको आबंटित किया गया हो, पंजीयन क्रमांक, अभिकरण के अध्यक्ष एवं संचालक का नाम, विक्रेता का नाम एवं पता, उचित मूल्य की दुकानों के गोदाम एवं उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति (बयाना) राशि को दर्ज करने हेतु एक पंजी संधारित करेगा, जो आबंटन अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा।

(12) उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन प्राप्त करने हेतु इच्छुक अभिकरण, परिशिष्ट–एक में आवेदन प्रस्तुत करेगा। दुकान आबंटन अधिकारी, परिशिष्ट –दो में, जैसा कि इस आदेश में संलग्न है, उचित मूल्य की दुकान के संचालन हेतु प्राधिकार पत्र जारी करेगा। अभिकरण, जिसे उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जा चुकी है, इसमें यथा उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने हेतु बाध्यकर होगा। विद्यमान उचित मूल्य की दुकानों को प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया, इस नियंत्रण आदेश के जारी करने के तीन माह के भीतर पूर्ण की जायेगी।

(13) उचित मूल्य की दुकान अभिकरण द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में रूपये 5000/– की राशि जमा की जायेगी।

(14) उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के पश्चात्, जिला खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, विभागीय वेबसाईट में उचित मूल्य की दुकान का डेटाबेस दर्ज

करेगा और वह नये उचित मूल्य की दुकान का आई डी क्रमांक जारी करेगा एवं संबंधित उचित मूल्य की दुकान से संलग्न राशन कार्ड प्राप्त करेगा।

(15) उचित मूल्य की दुकान हेतु प्राधिकार पत्र में की गई कोई प्रविष्टि, आबंटन अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना परिवर्तित नहीं होगी। उचित मूल्य की दुकान के स्वामी से परिवर्तन हेतु आवेदन की प्राप्ति पर, आबंटन अधिकारी आवश्यक सत्यापन करेगा तथा उसके सही पाये जाने पर, उचित मूल्य की दुकान के रजिस्टर तथा अनुबंध में परिवर्तन करेगा।

(16) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, अनुबंध में दी गई सभी शर्तों का अनुपालन करेगा तथा इनका उल्लंघन नहीं करेगा।

(17) प्राधिकार पत्र के निरस्तीकरण या निलंबन की दशा में, आबंटन अधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान से संलग्न राशन कार्ड को उसके निकटस्थ उचित मूल्य की दुकान से जोड़ दिया जायेगा। आबंटन अधिकारी, विभागीय वेबसाईट में भी आबंटन, निलंबन, संलग्नीकरण एवं निरस्तीकरण संबंधी कार्यवाही भी प्रदर्शित करेगा।

(18) यदि उचित मूल्य की दुकान, महिला स्व–सहायता समूहों को आबंटित किया जाता है तो उचित मूल्य की दुकान से संबंधित सभी कार्य, खाद्यान्न की प्राप्ति, उचित मूल्य की दुकान में उपभोक्ताओं को वितरण, समूह की महिला सदस्यों द्वारा स्वयं ही की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में, पुरूषों से उक्त कार्य नहीं कराया जायेगा।

10. **अनुबंध पत्र का निष्पादन और प्रतिभूति का निक्षेप.**– उचित मूल्य की दुकानें आबंटित होने के पश्चात्, दुकानदार राज्य सरकार के पक्ष में विहित प्रारूप में एक अनुबंध पत्र निष्पादित करेगा तथा प्रतिभूति राशि जमा करेगा। अनुबंध पत्र निष्पादित करने, प्रतिभूति राशि जमा करने एवं उचित मूल्य की दुकान आई डी जारी होने के पश्चात् ही संबंधित अभिकरणों को खाद्यान्न आबंटन एवं वितरण संबंधी कार्य सौंपा जा सकेगा।

11. **उचित मूल्य के दुकानदार के उत्तरदायित्व.**– (1) उचित मूल्य का दुकानदार, आवश्यक वस्तुएं उन अभिकरणों से प्राप्त करेगा, जो राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किये गये हों।

(2) वितरण प्राप्त करने के पश्चात्, दुकानदार का यह दायित्व होगा कि वह राज्य शासन द्वारा विहित समय–सीमा के पूर्व उचित मूल्य की दुकान में आवश्यक वस्तुओं का पूर्ण रूप से आबंटन उपलब्ध कराये।

(3) राशन कार्ड में सभी आवश्यक प्रविष्टियां करने का उत्तरदायित्व, उचित मूल्य के दुकानदार का होगा।

(4) आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने के पश्चात्, उचित मूल्य का दुकानदार आवश्यक वस्तुओं का विवरण, संबंधित ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय नगरीय निकाय एवं सतर्कता समिति को लिखित में देगा।

(5) उचित मूल्य का दुकानदार, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय ऐसी मात्रा तथा ऐसे मूल्य पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, उन उपभोक्ताओं को करेगा जिनका राशन कार्ड का पंजीयन उनकी दुकान में किया गया है। राशन कार्ड के बिना उचित मूल्य के दुकानदार द्वारा किन्हीं आवश्यक वस्तुओं का विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) उचित मूल्य का दुकानदार, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय राशन कार्डधारक अथवा ऐसे किसी अन्य सदस्य को करेगा जिसका नाम राशन कार्ड में है।

(7) उचित मूल्य के दुकानदारों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट कमीशन देय होंगे।

(8) उचित मूल्य के दुकानदारों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उपभोक्ताओं को प्रदाय किये जाने वाले खाद्यान्नों के नमूनों को उचित मूल्य की दुकान में प्रदर्शित करें।

(9) सामान्यतः, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में राशन सामग्रियों की प्राप्ति, विक्रय एवं शेष स्टॉक के संबंध में योजनावार घोषणा पत्र, विहित प्रारूप में संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) सामान्यतः प्रत्येक माह के 10 तारीख तक आगामी माह की राशन सामग्री के उठाव हेतु विगत माह के राशन सामग्री के वितरण के अतिशेष स्टॉक से संबंधित घोषणा–पत्र एवं डिमांड ड्राफ्ट अथवा राशि, संबंधित आपूर्ति केन्द्र में जमा कराई जायेगी।

(11) उचित मूल्य का दुकानदार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य शासन, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग या कलेक्टर द्वारा समय–समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा।

12. **उचित मूल्य की दुकान का आकार एवं उनके खुलने और बंद होने का समय आदि.–** (1) उचित मूल्य की दुकान का न्यूनतम आकार इतना होना चाहिये कि उसके संलग्न राशनकार्डो के राशन सामग्री के मासिक आबंटन का भण्डारण एवं उनकी पात्रतानसार वितरण सरलता से किया जा सके।

(2) उचित मूल्य की दुकान के सामने पर्याप्त जगह होनी चाहिये ताकि महिला एवं पुरूष खरीददारों की अलग–अलग कतार बनाने की व्यवस्था की जा सकेगी।

(3) उचित मूल्य की दुकान के खुलने तथा बंद करने का समय कलेक्टर द्वारा निर्णय किया जायेगा। उचित मूल्य की दुकान, कार्य दिवस में कम से कम 8 घंटे के लिये खुली रहेगी। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए, सुबह और शाम को निर्धारित समय में दुकान खोली जा सकेगी।

13. **उचित मूल्य की दुकान में रखे जाने वाले रजिस्टर तथा उनका निरीक्षण.–** (1) उचित मूल्य का दुकानदार, ऐसे समस्त रजिस्टरों का संधारण करेगा जो संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विहित किये गये हो।

(2) उचित मूल्य का दुकानदार, निम्नलिखित अधिकारियों के निरीक्षण के लिये समस्त रजिस्टर उपलब्ध करायेगा,–

(क) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी जो खाद्य निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो;

(ख) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी जो नायब तहसीलदार की श्रेणी से निम्न का न हो;

(ग) सहकारिता विभाग के अधिकारी जो सहकारिता निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो; और

(घ) गृह विभाग के अधिकारी जो उप–निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो,

तथा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भी समस्त जानकारी उपलब्ध करायेगा।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 22) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने की दशा में उचित मूल्य का दुकानदार जानकारी एवं अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध करायेगा। उचित मूल्य के दुकानदार द्वारा संधारित की गई दस्तावेजों की प्रतियों हेतु मांग की दशा में, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा विहित शुल्क जमा करने पर उपलब्ध कराई जायेगी।

14. **उचित मूल्य की दुकान पर बोर्ड आदि का प्रदर्शन.**– (1) उचित मूल्य की दुकानों पर हिन्दी भाषा में लिखित एक सूचना पटल लगाया जायेगा। सूचना पटल पर परिशिष्ट–तीन में दिये गये विवरण प्रदर्शित किये जायेंगे।

(2) उचित मूल्य का दुकानदार, दैनिक सूचना जैसे– दुकान से संलग्न योजनावार राशन कार्ड धारकों की सूची, राशन कार्ड धारकों को आवश्यक सामग्रियों की पात्रता, मूल्य सूची, माह के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सूची, दुकान में प्राप्त आवश्यक सामग्रियों के नमूने, राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर का

निःशुल्क टोल फ्री नंबर, निगरानी समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नंबर, सूचना के अधिकार से संबंधित प्रावधान, आदि उचित मूल्य के दुकान पर प्रदर्शित करेगा।

15. **निर्देशों का अनुपालन.**– उचित मूल्य का दुकानदार, राज्य सरकार, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग या कलेक्टर द्वारा समय–समय पर, जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

16. **शास्ति.**– (1) यदि दुकानदार अनुबंधपत्र के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह उचित मूल्य की दुकान के आबंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आबंटन निलंबित अथवा रद्द किये जाने हेतु दायी (जवाबदेह) होगा। ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु समय–सीमा तीन माह से अधिक नहीं होगी।

(2) दुकान के निरीक्षण के दौरान, यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दुकानदार द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गई राशि राज्य सरकार के पक्ष में पूर्णतः अथवा अंशतः समपहृत की जायेगी।

(3) उचित मूल्य की दुकान का अधिकार पत्र रद्द किये जाने या उनकी प्रतिभूति पूर्णतः अथवा अंशतः समपहृत किये जाने के पूर्व, खाद्य नियंत्रक या जिले का खाद्य अधिकारी अथवा अनुविभाग का अनुविभागीय अधिकारी, उचित मूल्य के दुकानदार को कारण बताओं नोटिस जारी करेगा और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कारण बताओं नोटिस जारी होने के एक माह की कालावधि के भीतर निर्णय करेगा।

(4) उचित मूल्य की दुकान एवं सार्वजानिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति एवं वितरण में संलग्न अन्य अभिकरणों का निरीक्षण, इस आदेश के नियम 13 के उप–नियम (2) में उल्लेखित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। यदि सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के

विरूद्ध अनियमिततायें पायी जाती है तो निरीक्षण अधिकारी उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों को संसूचित करेगा जो अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिवस के भीतर उचित मूल्य के दुकान के आबंटन हेतु पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यदि उक्त उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों की ओर से 15 दिन के भीतर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों की सहमति है तथा प्रस्तावित कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी।

(5) कोई व्यक्ति, संस्था या समूह जो इस आदेश के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 7 के अधीन दण्डित किये जाने हेतु दायी होगा तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही, मात्र उचित मूल्य की दुकान के सेल्समेन तक सीमित नहीं रहेगा किन्तु सोसायटियों तथा अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव तक भी विस्तावित होगा।

(6) यदि प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि कोई व्यक्ति, प्रतिनिधि/''बेनामी'' के रूप में, दुकानदार अथवा स्व–सहायता समूहों के वास्तविक स्वामी, प्राथमिक सहकारी साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, अन्य साख समितियों या ग्राम पंचायत के नाम पर, दुकान संचालित कर रहा है तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) के प्रावधानों के अधीन अभियोजन के लिये दायी होगा।

(7) यदि प्राधिकृत अभिकरण/उचित मूल्य का दुकानदार, किसी आवश्यक सामग्रियों की किसी अपात्र व्यक्ति को प्रदाय अथवा वितरण करता है तो उसका मूल्य, ऐसे कार्य करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति से, प्रचलित बाजार मूल्य या आर्थिक लागत, जो भी अधिक हो, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(8) (1) ऐसे मामले में कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 के अधीन आवेदन पत्र अथवा घोषणा पत्र में कोई झूठी जानकारी देता है, अथवा जानबूझकर कोई जानकारी छिपाता है अथवा यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत आवेदन पत्र, घोषणा पत्र में किसी झूठी जानकारी/प्रमाण पत्रो के आधार पर फर्जी अथवा अपात्र राशन कार्ड जारी करता है तो ऐसा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 9 के प्रावधानों के अधीन तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 193, 463, 468 एवं तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्य प्रावधानों के अधीन दंडित किये जाने हेतु दायी होगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

(2) ऐसे मामले में राशन कार्ड जारी करने हेतु नियम में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है अथवा अपात्र व्यक्ति को राशन कार्ड जारी किया जाता है तो आवेदनकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही किया जायेगा और कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी तथा अधिकारी एवं कर्मचारी जो आवेदन पत्रों तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दोषी पाये गये हैं, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

17. **खाद्य सुरक्षा निधि.**— (1) राज्य सरकार एक खाद्य सुरक्षा निधि का सृजन करेगी। इस निधि का प्राथमिक प्रयोजन कमजोर जनसंख्या के लिये खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ कराना है तथा निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) क्षेत्र जहाँ कुपोषण स्तर बहुत ऊँचा है एवं अकाल की संभावना विद्यमान है, वहाँ की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु;

(ख) सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ सामान्य आपूर्ति व्यवस्था द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवृत्त अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्यानों को आवश्यकतानुसार समय पर पहुंचाया जाना संभव न हो, नवीन आपूर्ति तंत्र के प्रयोग हेतु;

(ग) ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में निवासरत दूरस्थ अति निर्धन जनसंख्या, सीमान्त एवं कमजोर (भेद्य) लोग जैसे नगरीय आवासहीन, निःशक्त, बेदखल अथवा बेदखल किये जा रहे जनजातीय व्यक्तियों तक पहुंचने हेतु नवीन प्रयास के प्रयोग हेतु;

(घ) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु;

(ड़) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु;

(च) खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु;

(छ) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करने हेतु;

(ज) राज्य की खाद्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को सुदृढ़ बनाने के लिये ऐसी अन्य कार्यवाही करना, जैसा कि समय–समय पर अपेक्षित किया जाये।

(2) खाद्य सुरक्षा निधि का प्रबंधन, एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा की जायेगी।

18. **अपील.–** (1) उचित मूल्य की दुकान का आबंटन, राशन कार्ड जारी करने या नवीनीकरण करने या राशन कार्ड को रद्द करने का प्रत्याख्यान करते हुए, पदाभिहित अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस की कालावधि के भीतर कलेक्टर/अपर कलेक्टर को अपील कर सकेगा।

(2) कलेक्टर के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस की कालावधि के भीतर राज्य शासन को अपील कर सकेगा तथा यह निर्णय अंतिम होगा।

(3) ऐसी किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) अपील के लंबित रहने के दौरान, अपील प्राधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि अपीलाधीन आदेश, उस अपील के निपटारे तक अथवा उप–नियम (3) के अंतर्गत अन्य पार्टी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने तक, जो भी पूर्व हो, ऐसी कालावधि तक, जैसा कि प्राधिकारी आवश्यक समझे, प्रभावी नहीं होगा।

19. **छूट.**– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसरण में, राज्य शासन विशेष आदेश द्वारा, आदेश के प्रावधानों के समस्त या किसी भाग से छूट दे सकेगा तथा किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

20. **आदेश के अधीन किये गये कार्य का संरक्षण.**– किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य, जो इस आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित हो, के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

21. **निर्देशों के अनुपालन हेतु आदेश जारी करने की शक्ति.**– इस आदेश के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन हेतु तथा पारदर्शिता, जवाबदेही एवं राशन सामग्रियों के आबंटन, उसके भंडारण एवं वितरण के कम्प्यूटरीकरण करने एवं नई परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु राज्य शासन अथवा संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समय–समय पर, आवश्यक आदेश/निर्देश जारी कर सकेंगे।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**– छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु इस प्रकार निरसित आदेशों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इस आदेश के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

परिशिष्ट–एक

(खण्ड 9 (12) देखिये)

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के लिये आवेदन–पत्र का प्ररूप

अध्यक्ष / सरपंच का पासपोर्ट साईज फोटो	प्रबंधक / सचिव का पासपोर्ट साईज फोटो

1. ग्राम पंचायत / वार्ड का नाम, जहाँ उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है– .....
2. विकासखण्ड का नाम– .....
3. जिला का नाम– .....
4. आवेदक अभिकरण का नाम / समूह– .....
5. पंजीयन क्रमांक / आवेदक अभिकरण की तारीख / समूह– .....
   (ग्राम पंचायत को छोड़कर अन्य अभिकरणों द्वारा पंजीयन प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये)
6. आवेदक अभिकरण / समूह का कार्य क्षेत्र– .....
7. अभिकरण / समूह का कार्यालय पता– .....
8. अभिकरण / समूह का बैंक खाता क्रमांक– .....
9. अभिकरण / समूह की बचत राशि– .....
   (बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न की जाये)
10. आवेदक अभिकरण / समूह के अध्यक्ष / सरपंच का नाम– .....
    पिता / पति का नाम– .....
    निवास का पता– .....
    दूरभाष / मोबाईल नम्बर– .....
    आधार नम्बर – .....
11. आवेदक अभिकरण के प्रबंधक / सचिव का नाम– .....
    पिता / पति का नाम– .....
    निवास का पता– .....
    दूरभाष / मोबाईल नम्बर– .....
    आधार नम्बर – .....
12. आवेदक अभिकरण द्वारा विगत 03 वर्ष में किये गये कार्यों का विवरण– .....
    (ग्राम पंचायत को छोड़कर अन्य अभिकरणों द्वारा कार्यों का विवरण संलग्न किया जाये)
13. आवेदक अभिकरण की वार्षिक आय– .....
14. आवेदक अभिकरण द्वारा चालू किये गये व्यापार की प्रकृति एवं ब्यौरे– .....
15. उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु गोदाम का विवरण– .....
16. आवेदक अभिकरण के अध्यक्ष / प्रबंधक के विरूद्ध कोई कार्यवाही पंजीकृत / लंबित है, यदि हाँ, तो ब्यौरे दें (शपथ पत्र संलग्न किया जाये)– .....

आवेदक अभिकरण के अध्यक्ष /
सरपंच के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

आवेदक अभिकरण के प्रबंधक /
सचिव के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

परिशिष्ट–दो

(खण्ड 9 (12) देखिये)

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान का आबंटन प्राधिकार पत्र

संस्था के अध्यक्ष का पासपोर्ट आकार का फोटो

प्राधिकार–पत्र कमांक ..... प्रतिभूति राशि के ब्यौरे .....ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम .....विकासखण्ड/स्थानीय नगरीय निकाय का नाम.....जिला.....उचित मूल्य की दुकान आई.डी. कमांक ..... उचित मूल्य की दुकान के अभिकरण का नाम..... अभिकरण के अध्यक्ष/संचालक का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी .....को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के संचालन हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्:–

1. सहकारी समिति/संस्था उचित मूल्य की दुकान का संचालन नहीं करेगा तथा आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण, निम्नलिखित स्थल के सिवाय अन्यत्र नहीं करेगा:–

   मकान कमांक ..... वार्ड/नाम ..... स्थान .....

   पुलिस थाना ..... तहसील ..... जिला .....

   टीप – यदि दुकान का संचालन, उपरोक्त स्थान से भिन्न स्थान पर किया जाता है, तो संस्था इस संबंध में लिखित में जानकारी उचित मूल्य की दुकान के आबंटन प्राधिकारी को देगा तथा अन्य स्थान पर भण्डारण हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, प्राधिकार–पत्र में तद्नुसार संशोधन करायेगा।

2. उचित मूल्य की दुकान के बाहर सहजदृश्य स्थान पर 150 सेमी. x 75 सेमी. आकार के पीले रंग के बोर्ड पर हिन्दी भाषा में काले अक्षरों में दुकान का विवरण नियंत्रण आदेश के खण्ड 14 के उप–खण्ड (1) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रदर्शित किया जायेगा।

3. उचित मूल्य की दुकान में सहजदृश्य स्थान पर 150 सेमी. x 75 सेमी. आकार के काले बोर्ड पर सफेद रंग से योजनावार राशनकार्ड संख्या, सदस्य संख्या, पात्रता, उपभोक्ता मूल्य, आवश्यक वस्तुओं का प्रारंभिक भण्डारण, प्राप्त तथा वितरित मात्रा, इत्यादि प्रदर्शित किये जायेंगे। यह जानकारी प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी।

4. उचित मूल्य की दुकान में किसी सहजदृश्य स्थल पर निगरानी समिति के सदस्यों के नाम तथा उनके मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए जायेंगे।

5. उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिये राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में पृथक इकाई/राशनकार्ड पंजी, स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी, दस्तावेजी/इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलिखित किये जायेंगे तथा सुरक्षित रखे जायेंगे।

6. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी व्यक्ति, आवश्यक वस्तुओं की प्रारंभिक शेष, पावती, वितरण एवं अंतिम शेष की मासिक जानकारी, प्रत्येक माह की ऐसी तारीख को, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को दस्तावेजी/इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करेगा।

7. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी व्यक्ति, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों को उसके मांगे जाने पर, विहित शुल्क प्रभारित करने के पश्चात्, उपलब्ध करायेगा।

8. उचित मूल्य की दुकान के आबंटी द्वारा दुकान से संलग्न राशन कार्डधारियों को ऐसी मात्रा, खाद्य अनाज अनुपात के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करेगा, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

9. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी, दुकानदार या कोई अन्य पदाधिकारी, दुकान में वितरण हेतु प्रदत्त आवश्यक वस्तुओं का प्रतिस्थापन, अपमिश्रण, अपयोजन या व्यपवर्तन नहीं करेगा।

10. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी/विक्रेता व्यक्ति, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के मुहरबंद नमूनों को उचित मूल्य की दुकान के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

11 उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के प्राधिकार पत्र को, दुकान आबंटिती/उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता व्यक्ति द्वारा उचित मूल्य के दुकान में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

12. उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता व्यक्ति एक वितरण पंजी संधारित करेगा। राशनकार्ड की संख्या, इकाइयों (यूनिट) की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, सामग्रियों की मात्रा, इसके मूल्य तथा राशन कार्डधारक के हस्ताक्षर पंजी या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में दर्ज करेगा।

13. उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता व्यक्ति, माह के दौरान वितरित की गयी सामग्री की मात्रा एवं उसके मूल्य की प्रविष्टि राशन कार्ड में हस्ताक्षर सहित करेगा।

14. उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता व्यक्ति, राशन कार्ड में दर्ज परिवार के मुखिया या परिवार के अन्य सदस्यों के अतिरिक्त, अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यक सामग्रियों का वितरण नहीं करेगाः

परन्तु कलेक्टर द्वारा यथा चिन्हांकित कोई राशन कार्डधारक या उसके परिवार के सदस्य, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के या निःशक्त हैं, की दशा में, उसका हकदार राशन कार्डधारक द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति होगा।

15. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी, सभी आवश्यक पंजियों, जैसे–शिकायत पंजी, सुझाव पंजी, घोषणा पत्र पंजी, डिलीवरी ऑर्डर, चालान पंजी, कैश बुक आदि का संधारण करेगा तथा परीक्षण हेतु, मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

16. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी, उचित मूल्य की दुकान में अनावश्यक राशन वस्तुयें बेच सकेगाः

परन्तु इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आपूर्ति करायी गयी कोई आवश्यक वस्तु सम्मिलित नहीं की जायेगीः

परन्तु यह और कि कोई ऐसी वस्तुयें नहीं बेचेगा, जिनकी तारीख समाप्त हो चुकी हो, जो पंजीकृत न हों या जो आबंटन प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित की गई हों।

17. उचित मूल्य की दुकान में राशन कार्डधारी का राशन कार्ड प्रतिधारित नहीं किया जायेगा या नहीं रखा जायेगा।

18. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी, कम से कम एक वर्ष तक उचित मूल्य की दुकान से संबंधित सभी आवश्यक पंजियों एवं दस्तावेजों को रखेगा तथा परीक्षण के लिये मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. उचित मूल्य की दुकान में नियंत्रण तथा नापतौल विभाग द्वारा सत्यापित तराजू, बांटों तथा मापों का उपयोग किया जायेगा।

20. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी, कारबार के समय के दौरान, राशन कार्डधारकों को सामग्री उपलब्ध कराने से इंकार नहीं कर सकता।

21. दुकान, निर्धारित कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से खुली रहेगी (कलेक्टर द्वारा निर्धारित अवकाश के दिनों को छोड़कर)।

22. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी, माह के प्रारंभ में, सभी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना एवं उनका वितरण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

23. उचित मूल्य की दुकान का अभिकरण, उचित मूल्य की दुकान आबंटन प्राधिकार–पत्र प्राप्त करने के पश्चात्, उचित मूल्य की दुकान में विक्रेता को नियुक्त करेगा तथा विक्रेता की नियुक्ति संबंधी जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को अनिवार्य रूप से देगा।

24. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राशन सामग्रियों के भंडारण के लिए, कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय–सीमा में, आवश्यक घोषणा पत्र एवं राशि/डिमांड ड्राफ्ट संबंधित खाद्य निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।

25. प्रत्येक माह, कलेक्टर द्वारा निर्धारित तारीख पर ''चावल उत्सव'' का आयोजन किया जायेगा, जहाँ हितग्राहियों को आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया जायेगा।

26. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी, उचित मूल्य की दुकान के आबंटन प्राधिकारी के अनुमोदन पर ही उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को हटा सकेगा।

27. उचित मूल्य की दुकान का आबंटी, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान के आबंटन प्राधिकारी, जिला कलेक्टर, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा राज्य शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुसरण करेगा।

28. उचित मूल्य की दुकान के आबंटन प्राधिकार पत्र के उपरोक्त प्रावधानों में से किसी के उल्लंघन पर, वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 या 7 का उल्लंघन के लिये दायी होगा।

स्थान :
जारी करने की तारीख

आबंटन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पद मुद्रा

परिशिष्ट–तीन
(खण्ड 14 (1)देखिये)
उचित मूल्य दुकानों के लिये सूचना पटल का प्रारूप

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत
उचित मूल्य दुकान

कोर पीडीएस-मेरी मर्ज़ी

ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय .....
वार्ड क्रमांक .....
उचित मूल्य दुकान का आई.डी. क्रमांक .....
अध्यक्ष/प्रबंधक का नाम .....
मोबाईल नम्बर .....
उचित मूल्य दुकान के विक्रेता का .....
नाम तथा मोबाईल नम्बर .....
दुकान खुलने का दिनांक .....
दुकान खुलने का समय .....से .....

किसी शिकायत/सुझाव हेतु कॉल सेन्टर नम्बर 1800–233–3663 पर सम्पर्क करें।

टीपः– पीले बोर्ड पर काले रंग से विवरण लिखा जाये।

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 9-27/खाद्य/2008/29-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd January 2017

NOTIFICATION

No. F 9-27/Food/2008/29-1.— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 No. G.S.R. 213 (E), dated 20th March, 2015 issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and in pursuance of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013) and in supersession of the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004, the State Government, hereby, makes the following order for maintaining supplies, distribution and securing availability of essential commodity like food, grains, etc. under the Targeted Public Distribution system, namely :-

ORDER

1. **Short title, extent and commencment**.- (1) This order shall be called the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2016.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In this order, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Essential Commodities Act, 1955 (No.10 of 1955);

(b) "**Appellate Authority**" means an Authority specified under clause 18 of the order;

(c) "**Authorized Agency**" means the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation and shall include its officers, employees, transporters and their authorized employees, who are engaged in the purchase of food grains, sugar, salt, gram and other essential commodities under the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 from the Food Corporation of India, stock procurement under Decentralized Food Grain Scheme or through tender, and transportation to the supply centre of the State Government and then to the Fair Price Shop; and in the case of blue kerosene means oil companies, wholesale traders and their authorized transporters and its their employee or person, who are engaged in the work of transportation of kerosene from the depot of oil company to the Fair Price Shop;

(d) "**Central Food Security Act**" means the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013);

(e) "**Central Government**" means the Government of India;

(f) "**Central Order**" means the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015;

(g) "**Collector**" means the Collector of a District and includes any such other officer authorized by the State Government for performing all or any function of the Collector under this Order;

(h) "**Director**" means the Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Government of Chhattisgarh;

(i) "**Diversion**" means unauthorized supply or transportation of essential commodities from godown of authorised agencies under the Targeted Public Distribution System to any person or destinations other than prescribed beneficiaries;

(j) "**Fair Price Shop**" means a shop with an authority letter issued under this order for supply of essential commodities to ration cardholders under the Pubic Distribution System and agencies recognized under other schemes of the Central Government and the State Government, respectively;

(k) "**Family**" means the husband, wife and their unmarried children;

(l) "**Food Security Allowance**" means the amount of money to be paid by the State Government to the entitled persons under Section 8 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No.5 of 2013);

(m) "**Public Distribution System**" means the system of distribution of essential commodities such as rice, wheat, sugar, blue kerosene oil, salt, gram and other commodities as notified by the Central Government under clause (a) of Section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (No.10 of

1955) to the ration cardholders identified under the Central Food Security Act or the State Food Security Act and to other specified institutions for lifting under other Government schemes through the Fair Price Shops;

(n) "**Ration Card**" means a document issued by the State Government under an order or authority for purchase of essential commodities under the Public Distribution System from Fair Price Shop, and shall also include;-

(i) ration card issued to eligible priority families under the Central Food Security Act and the State Food Security Act;

(ii) ration card issued to Antyodaya families (Particularly Vulnerable Social Group Household identified by the State Government);

(iii) ration card issued to destitute families under Annapurna Yojana;

(iv) such ration cards issued for special benefit of any schemes of the Central or State Government;

(o) "**Ration Commodities**" means wheat, rice, sugar, salt, gram and blue kerosene oil under the Public Distribution System and any other commodities included from time to time under various schemes of the Central or State Government;

(p) "**State Food Security Act**" means the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013);

(q) "**State Government**" means the Government of Chhattisgarh.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them under the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013), the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the Essential Commodities Act, 1955 (No.10 of 1955) or any other relevant Act.

3. **Identification of eligible families.**-Identification of eligible families for ration cards shall be done in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Ration Card Rules, 2016 issued by the State Government.

4. **Ration Card.**-(1) Ration Card shall be issued to the eligible families in accordance with the procedure prescribed under the Chhattisgarh Ration Card Rules, 2016.

(2) Regular action shall be taken by the State Government for deletion of bogus ration cards.

(3) Ration card shall be issued by the officer authorised by the District Collector.

(4) Any person,-

(a) shall not apply for ration card or obtain ration card, if ration card is already issued in his name or in the name of any member of the family;

(b) shall not give false details and information while applying for ration card;

(c) shall not willfully change, destroy or alter any of the entries in the ration card or permit.

(5) Suitable action for compliance of the provisions regarding time limit prescribed in the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No.23 of 2011) shall be ensured.

(6) Normally Ration card shall be valid for 5 years from the date of issue. On expiry of 5 years, ration card shall be renewed or new ration card shall be issued as per the provisions of the Chhattisgarh Ration Card Rules, 2016.

(7) Name of ration cardholder and family members, relation with head of the family, age and address shall be clearly mentioned in the ration card.

(8) Ration card shall be issued in the name of the adult female member of the family. In case there is no adult female member then the senior most male member of the family shall be treated as family head and ration card shall be issued in his name:

Provided that when the female member reaches the age of 18 years, name of the female member shall be replaced as head of the family in the ration card.

(9) No fees shall either be charged or recovered for issuance of new ration card by the issuing authority:

Provided that prescribed fee shall be payable for services provided in the different service centers of the

State Government such as Choice Centre, Public Service Centre, etc.

(10) Ration card shall be used only by or on behalf of the person to whom it is issued and it shall not be used for any other statutory purpose or as an identity of a person.

(11) Ration card issued to a person shall not be transferrable.

(12) Every ration card issued under this order shall be considered as a Government property but the person to whom it is issued, kept or surrendered shall be responsible for its custody.

(13) In case the ration card is corrupted, lost or damaged Authorized Officer, after such enquiry as he may deem fit, shall issue duplicate ration card on payment of Rs. 10/- per card:

Provided that prescribed fee shall be payable for services provided in the different service centers of the State Government such as Choice Centre, Public Service Centre, etc.

(14) In case, when a new ration card is issued in place of lost ration card and later on old ration card was found then the card holder shall immediately return missing ration card to the officer by whom it was issued.

(15) When any ration card is in possession of any person and such possession is not authorised by or under this order

then such ration card shall be immediately submitted to the concerned Tahsildar or Local Bodies.

(16) In order to check the diversion of essential commodities, Collector shall operate continuous drives to cease the bogus ration cards and bogus ration card units.

5. **Lifting, storage, transportation and distribution.**-(1) Any allotment received from the Central or State Government under the Public Distribution System shall not be diverted for any other purpose.

(2) On receipt or in anticipation of receipt of allotment under Targeted Public Distribution System or Central Food Security Act from the Central Government, Director, Government of Chhattisgarh, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department by 10th of the current month shall issue web based on-line allotment for the next month to all Fair Price Shops run in the State. Online allotment for other Government schemes shall be issued according to the process prescribed by the Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.

(3) On receipt of demand along with the prescribed amount, Food Corporation of India (FCI) shall provide wheat according to quantity and quality prescribed within a period of two weeks. Rest of the ration commodities shall be obtained by the Authorized Agency from the stock procured under decentralized food procurement scheme or any other source according to quantity and quality prescribed to supply at Fair Price Shops.

(4) On issue of online monthly allotment of ration commodities to Fair Price Shops, Food Inspector shall inform the related Fair Price Shop, Gram Panchayat and Local Body about the allotment. Display of the list of ration cardholders attached to the Fair Price Shop and their entitlements shall be ensured as per the instructions of Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department from time to time.

(5) Balance stock of the preceding month shall be recorded in the declaration form in order to supply ration commodities to the Fair Price Shops.

(6) Collector, District Manager of the authorized agency, Food Controller/Food Officer and transporter of the authorized agency shall make it sure that the whole commodities for distribution in a month have been stored at the Fair Price Shop by the 1st day of the allotment month.

(7) In case of lifting of food grains from Food Corporation of India, authorized agency and representatives of Food Corporation of India shall conduct a joint inspection of the stock proposed to be issued, before releasing payment and make it sure that the stock to be issued is as per the prescribed quality. Similarly, the authorized agency shall conduct joint inspection of the food grains to be issued by the representative of the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited and the officer authorized by the Collector at the supply centers and ensure that the food grains to be supplied is of the prescribed quality.

(8) Food Corporation of India shall provide stack-wise sealed sample of the food grains out of the stack for supply under Pubic Distribution System to the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited. Thereafter, the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited shall supply sealed sample from the stack of food grains through their transporters to Fair Price Shops for display every month.

(9) Authorized agency and Collector shall make suitable arrangement to store the whole quantity of ration commodities lifted by the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited at the godowns and ensure timely supply of the same to Fair Price Shops.

(10) Officer authorized by the Collector, District Manager of the authorized agency, institutions authorized for the transportation of the whole quantity of ration commodities under Public Distribution System shall ensure that the balance quantity of ration commodities after supply from the supply centers of authorized agency of Public Distribution System is not exchanged with low quality commodities while transportation, storage or at any other points.

(11) Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department shall decide the process for inspection and proforma of sale register, stock register and ration card register.

(12) Ration cardholder can obtain essential commodities as per eligibility, from the Fair Price Shops. It shall not be necessary

for the ration cardholder to lift their entitlements at a time, but can obtain in installments at their convenience.

(13) Ration cardholder can obtain their entitlements from Fair Price Shops during the month of its allotment.

(14) Norms and consumer rate of the ration commodities to be supplied under various categories of ration cards shall be fixed by the State Government, from time to time.

(15) Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department shall issue Fair Price Shop-wise and district-wise allotment of ration commodities for the forthcoming month till 10th of the month and inform the authorized agency for lifting and storage of ration commodities.

(16) All authorized agencies or its contracted transporter shall supply ration commodities at the door steps of Fair Price Shop by Door Step Delivery System by the 1st day of the allotment month.

(17) On receipt of the declaration form of the ration commodities distributed during the last month, balance stock, along with Demand Draft/amount, Food Inspector of the concerned area after its data entry in the website shall submit the declaration form at the supply centers of the authorized agency.

(18) On receipt of declaration form and amount, authorized agency shall take necessary action for storage of ration commodities required for the forthcoming month.

(19) The Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited shall issue online delivery order and truck challan through web-based application for supply of ration commodities to the Fair Price Shops.

(20) The Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited shall supply ration commodities to Fair Price Shops required for a month, on credit basis as per allotment issued by the Director.

(21) Authorized agency shall lift the ration commodities required for distribution under Public Distribution System from their supply centers and store it directly at Fair Price Shops.

(22) Transporter shall supply food grains at Fair Price Shop level after weighing the same. In case of shortage in the quantity of food grains during transportation, the authorized agency shall immediately make up the quantity found less, to the Fair Price Shop.

(23) Transporter shall deposit the Panchnama at supply centre of authorized agency within two days of storage of ration commodities at Fair Price Shop as per the process determined by the Director.

(24) Fair Price Shop owner shall distribute ration commodities to the ration cardholders as per the quantity and procedure determined by the State Government or Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.

(25) Fair Price Shop owner shall not distribute ration commodities of quality inferior than that of the prescribed quality.

(26) Fair Price Shop owner shall not distribute essential commodities to any person other than recorded in ration card as head of the family and members:

Provided that in case any ration cardholder or their members as identified by the Collector are more than 60 years of age or disabled, then their entitlements can be handover to the person authorized by the ration cardholder.

(27) Fair Price Shop owner shall not keep the ration card or ration commodities sold by him to the ration cardholder at premises of Fair Price Shop.

(28) Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department shall issue orders/instructions for computerization of allotment, storage, transportation and distribution of ration commodities under Targeted Public Distribution System.

6. **Power of search and seizure.-** (1) Any person authorized by the State Government or Collector may,-

(a) enter any place or premises, vehicle or ship used or believed to be used for the sale, distribution or storage for the sale or distribution of any essential commodity under the Public Distribution System, inspect or break open and search any such premises, where such authorities have reason to believe that it has been used or will be used in the contravention of the provisions of this order or any terms of the agreement.

(b) compel any person to make any statement or furnish any information or to produce any document or article in his

possession or control relating to the purchase, sale, distribution or storage of any essential commodity and every person so required shall comply with such requisition.

(c) take or cause to take extracts or copies of any document relating to the purchase, sale, distribution or storage of any essential commodity, which is required to submit under clause (b), or otherwise found in any such premises.

(d) take or cause to take the weight of any or all of the essential commodities found in any such premises:

Provided that on entering upon and inspecting any premises, shall have due regard to the social and religious customs and traditions of the persons occupying the premises.

(e) may also search, seize or remove such books of accounts or stocks of essential commodities, where authority has reason to believe that these have been used or will be used in contravention of the provisions of this order.

(2) Storage, distribution, transportation etc. of the essential commodities under this order can be inspected by the following officers, namely:-

(a) State level - Director/Additional Director/Joint Director/Deputy Director/Assistant Director and Food Inspector (Directorate) – in the whole state;

(b) District level - (i) Collector/Additional Collector/ Assistant Collector/ Joint Collector/Deputy Collector/

Food Controller/Food Officer/Assistant Food Officer/Food Inspector- in the whole district;

(ii) Sub Divisional Officer (Revenue) – in respective sub division;

(iii) Tahsildar/Nayab Tahsildar – in respective area;

(iv) Officer of cooperative department not below the rank of Cooperative Inspector- in respective area;

(v) Officer of police department not below the rank of Sub Inspector in respective area.

7. **Monitoring, supervision and transparency.**-(1) Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department shall ensure regular inspection of Fair Price Shop by the designated authority, not less than once in a fixed period. Director shall also issue orders specifying inspection schedule, list of check points and the authorities responsible for ensuring compliance with the said inspection orders.

(2) Vigilance committee shall be setup at State, District, Block and Fair Price Shop level by the State Government for implementation and monitoring of provisions of the Central Order, Central Food Security Act and State Food Security Act.

(3) Meetings of Vigilance Committee shall be conducted atleast once in a quarter at each level.

(4) The State Government shall send an annual report of the function of the vigilance committee to the Central Government in the format provided in Annexure-VI of the Central order.

(5) Social audit of Public Distribution System shall be conducted as per the procedure prescribed by the State Government.

(6) Agency of Fair Price Shops shall submit the information regarding actual monthly distribution and balance stock through a declaration form to the Food Inspector of the area within the time limit prescribed by the Collector.

(7) The State Government shall issue instructions to provide information regarding the rights and benefits of ration cardholder under Public Distribution System, through electronic and print Media.

(8) The State Government shall ensure to issue notification of the Schemes of the department in the Citizen Charter/ the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No.23 of 2011).

(9) Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department shall operate Jan bhagidari website to make available information regarding Public Distribution System to the general public.

(10) "Rice Festival" shall be organized at Fair Price Shop level every month on the date fixed by the State Government and ration commodities shall be distributed in presence of the general public.

(11) The State Government shall also manage Internal Complaint Redressal System and Toll Free Helpline for lodging and quick redressal of the complaints/suggestions received.

(12) Quick and effective redressal of the complaints of the affected person relating to distribution of entitlements to eligible families under the Public Distribution System, as per the provisions of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No.5 of 2013), shall be done according to the provisions of the Chhattisgarh Public Distribution System (Internal Complaint Redressal) Rules, 2016.

8. **Number and location of Fair Price Shop.**-The number and location of Fair Price Shops shall be specified by the District Collector and he shall take care of the following guidelines, namely:-

(a) normally in urban areas there shall be one Fair Price Shop for area having 500 Ration Cards. The shop shall be established in those areas, where it will be convenient for the beneficiaries in receiving food grains.

(b) number and location of shops shall be determined as such, so that no beneficiary should have to walk more than 3 kilometers for receiving food grains;

(c) normally in rural areas, Fair Price shop shall generally be allotted considering Gram Panchayat as a unit.

(d) as far as possible, fair price shops in all rural and urban areas must be setup in Government buildings. In urban areas, Fair Price Shop cannot be operated in the buildings used for residential purpose. The size of Fair Price Shop must be sufficient to keep the stock allotted for one month.

9. **Allocation of Fair Price Shop.**-(1) Fair Price Shop shall be allotted to the Large Aadim Jati Multipurpose Cooperative Societies (LAMPS), Primary Agriculture Credit Societies, Forest Protection Committees, Women Self-Help Groups, Gram Panchayats, other consumer cooperative societies and Urban Local Bodies under the provisions of this order.

(2) In district headquarters, Fair Price Shops shall be allotted by Food Controller/Food Officer on approval of Collector and in remaining places of district, by Sub-Divisional Officer of sub division on approval of Collector.

(3) In those places, where more than one primary cooperative credit societies exists selection for allotment shall be done as per the recommendation of Deputy Registrar/Assistant Registrar, Cooperative Society.

(4) Generally, only one Fair Price Shop can be allotted to any agency in its area, but in order to ensure regular distribution of essential commodities to ration cardholder consumers, shop allotment authority can allot more than one shop specifying valid reason, but in no circumstances the number of shops so allotted shall exceed three Fair Price Shops.

(5) Advertisements in the local newspapers shall be given for allotment of Fair Price Shops. Those institutions who are interested in running Fair Price Shops shall submit application in the prescribed "Proforma-".

(6) Allotment of Fair Price Shops in the integrated tribal development project areas.- Authorized officer shall allot Fair Price Shops from the following agencies, namely:-

(One) Large Aadim Jati Multipurpose Cooperative Society (LAMPS);

(Two) Gram Panchayats/ Urban Local Bodies;

(Three) Women Self Help Groups;

(Four) Forest Protection Committees;

(Five) Other cooperative societies;

(Six) Undertakings specified by State Government.

(7) Allotment of Fair Price Shops in other area.- Allotment of Fair Price Shop to agencies by authorized officer shall be the following, namely:-

(One) Gram Panchayats/Urban Local Bodies;

(Two) Women Self-Help Groups;

(Three) Primary Agricultural Credit Societies;

(Four) Other cooperative societies;

(Five) Undertakings specified by the State Government;

(Six) Forest Protection Committees.

(8) Other consumer cooperative shall be registered under the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or the Chhattisgarh Swayatta Sahkarita Adhiniyam, 1999 (No.2 of 2000). The authorized officer of Co-operative Department shall do audit of accounts of Fair Price Shops run by other consumer cooperative societies.

(9) Allotment of Fair Price Shops shall be made to such other cooperative societies and women self-help groups, who are

registered and have been working for at least 3 years before the date of submission of application and having work experience in the field of socio-economic field.

(10) Fair Price Shops allotted to Gram Panchayat shall be run by Gram Panchayat itself and Gram Panchayats shall not authorize any private person to run Fair Price Shop. Fair Price Shops allotted to Gram Panchayats shall be run by a committee consisting of the Sarpanch, Secretary of the Panchayat, one Panch, one Priority Ration cardholder and one Antyodaya cardholder nominated by Gram Sabha. At least two of them should be women members. Any local literate and unemployed person shall be appointed on approval of Gram Sabha as salesman of Fair Price Shop run by a Gram Panchayat.

(11) Authorized officer for allotment of Fair Price Shops shall maintain a register in his office for recording the name of Fair Price Shop, serial number, name of agency to whom allotted, registration number, names of President and Director of agency, name and address of seller, godowns and earnest money deposited by Fair Price Shops, duly signed by Allotment officer.

(12) Agency interested to get allotment of Fair Price Shops shall submit application in Annexure-I. Shop allotment officer shall issue authority letter for running of Fair Price Shop in the Annexure-II as attached in this order. Agency to whom Fair Price Shops have been allotted shall be bound to comply with the terms as mentioned therein. The process of issue of authority letter to the existing Fair Price Shops shall be completed within three months of issue of this Control order.

(13) An amount of Rs.5000/- shall be deposited by Fair Price Shop agency as security amount.

(14) After allotment of Fair Price Shops, the District Food Controller/Food Officer shall enter the database of Fair Price Shops in the departmental website and issue ID number of the new Fair Price Shop and get the ration cards attached with the related Fair Price Shop.

(15) Any entry in the authority letter for Fair Price Shop shall not be changed without prior permission of the Allotment Officer. On receipt of application from Fair Price Shop owner for changes, Allotment Officer shall conduct necessary verifications and in case found genuine, shall make changes in the register of Fair Price Shop and the agreement.

(16) Fair Price Shop owner shall comply with all the terms as laid in the agreement and shall not contravene the same.

(17) In case of cancellation or suspension of authority letter, the ration cards attached to the same Fair Price Shop shall be attached to its nearest Fair Price Shop by the Allotment Officer. The Allotment Officer shall also display the action taken regarding allotment, suspension, attachment and cancellation in the departmental website.

(18) In case Fair Price Shop is allotted to Women Self-help Groups, all the work related to Fair Price Shop, receipt of food grains, distribution to consumers in Fair Price Shop shall be carried out by female members of the group itself. In no circumstance male will be entrusted with the work.

10 **Execution of agreement and deposit of security.**-After allocation of Fair Price Shop, shopkeeper shall execute an agreement and deposit security amount in favour of the State Government in prescribed format. Only after execution of agreement, deposit of security amount and issuance of Fair Price Shop ID, work related to allotment and distribution of food grain shall be entrusted to the related agency.

11. **Responsibilities of Fair Price Shopkeeper.**-(1) Fair Price Shopkeeper shall receive essential commodities from the agencies, which are authorized by the State Government.

(2) After taking delivery, it shall be the responsibility of the Shopkeeper to make available the whole allotment of essential commodities in the Fair Price Shop before the time limit prescribed by the State Government.

(3) Fair Price Shopkeeper shall be responsible for making all necessary entries in ration cards.

(4) After receiving essential commodities, Fair Price Shopkeeper shall give the description of essential commodities in writing to the concerned Gram Panchayat or Urban Local Bodies and Vigilance Committee.

(5) Fair Price Shopkeeper shall sell essential commodities in such quantities and price as may be specified, from time to time, by the State Government to those consumers whose ration cards have been registered at his shop. Fair Price Shopkeeper shall not sell any essential commodities without ration card.

(6) Fair Price Shopkeeper shall sell essential commodities to ration cardholder or any other member having their name in the ration card.

(7) The commission as specified, from time to time, by the State Government shall be payable to Fair Price Shopkeeper.

(8) It shall be mandatory for the Fair Price Shopkeeper to display the sample of food grains to be distributed to consumers at Fair Price Shop.

(9) Generally, scheme-wise declaration regarding receipt of ration commodities, sale and balance stock shall be made available to the Food Inspector of the related area by the first week of the every month in the prescribed format.

(10) Generally, by tenth of every month, declaration regarding distribution of ration commodities, balance stock of previous month and demand draft or the amount to be deposited at the related supply centre for lifting of ration commodities for forthcoming month.

(11) Fair Price Shopkeeper shall ensure compliance of all the instructions under Public Distribution System issued by the State Government, Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department or Collector, from time to time.

12. **Size of Fair Price Shop and its opening and closing time etc.-** (1) The minimum size of a Fair Price Shop should be such that storage of monthly allotment of ration commodities of

the ration cards attached to it and distribution of their entitlements can be done smoothly.

(2) There should be sufficient space in front of the Fair Price Shop so that separate queue for female and male purchasers can be managed.

(3) Opening and closing time of Fair Price Shop shall be decided by the Collector. On working days Fair Price Shop shall be open for at least 8 hours. Taking into consideration the local needs, Shop can be opened for a fixed time in the morning and evening.

13. Registers to be kept at Fair Price Shop and its inspection.- (1) Fair Price Shopkeeper shall maintain all such registers as prescribed by the Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.

(2) Fair Price Shopkeeper shall make all registers available, for inspection to the officers of the,-

(a) Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection not below the rank of Food Inspector;

(b) Department of Revenue and Disaster Management not below the rank of Nayab Tahsildar;

(c) Cooperative Department not below the rank of Cooperative Inspector; and

(d) Home Department not below the rank of Sub-Inspector,

and shall also provide all the information to any other officer authorized by the Collector.

(3) In case of receipt of application from any person under Right to Information Act, 2005 (No.22 of 2005), Fair Price Shopkeeper shall make available the copies of information and records. In case of demand by for the copies of documents maintained by Fair Price Shopkeeper, it shall be made available on depositing such fees, as prescribed under the provisions of the said Act.

14. **Display of Board, etc. at Fair Price Shop.**-(1) A Notice Board shall be displayed at the Fair Price Shop written in Hindi language. Details as given in the Annexure-III, shall be displayed on the Notice Board.

(2) Fair Price Shopkeeper shall display the daily information like list of scheme-wise ration cardholders attached with the shop, eligibility of essential commodities to the ration cardholders, price list, stock of essential commodities received during the month, sample of essential commodities received in the shop, toll free number of state level call centre, name and mobile numbers of the members of vigilance committee, provisions related to the Right to Information etc., at the Fair Price Shop.

15. **Compliance of instructions.**- Fair Price Shopkeeper shall comply with the instructions issued by State Government, Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department or the Collector, from time to time.

16. **Penalty.**- (1) If the Shopkeeper contravenes any provision of the agreement then he shall be liable for suspension or

cancellation by the officer authorized for allotment of Fair Price Shop. The time limit for redressal of such cases shall not exceed three months.

(2) During inspection of the shop, if any irregularity is found, then without prejudice to any action the whole or part of the amount deposited by shopkeeper as security, shall be forfeited in favour of the State Government.

(3) Before cancellation of authority letter of Fair Price Shop or forfeiture of whole or part of security, Food Controller or Food Officer of the district or Sub-Divisional Officer of sub-division shall issue show cause notice to Fair Price Shopkeeper and after giving an appropriate opportunity of being heard shall decide within a period of a month from issuance of show cause notice.

(4) The inspection of Fair Price Shop and other agencies engaged in supply and distribution of essential commodities under Public Distribution System shall be done by the officers mentioned in sub-rule (2) of rule 13 of this order. If irregularities found against Fair Price Shop run by cooperative societies then inspecting officer shall communicate it to the Deputy Registrar/Assistant Registrar, Cooperative Societies, who shall send his report within 15 days to officer designated for allotment of Fair Price Shop. If the said Deputy Registrar/Assistant Registrar, Cooperative Societies does not submit his report within 15 days, then it will be presumed that the consent of Deputy Registrar/Assistant Registrar, Cooperative Societies is favorable and proposed action can be completed.